नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

संचिका संख्या ..../ पत्रांक ...430........./सा०सु०, दिनांक ..25/06.../2020

:: आदेश ::

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 896, दिनांक 18.06.2020 के द्वारा 140वीं हेलेन केलर जयन्ती (27 जून) के अवसर पर राज्य निवासी दिव्यांगजनों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ विविध ऑन–लाईन मीडिया साधन यथा– विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प आदि के माध्यमों से वर्चुअल ई–जन जागरूकता–सह–ई–संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं, अपने समस्याओं/शिकायतों को ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से समाधान एवं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 में मतदान का अधिकार के संबंध में जागरूक किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त क्रम में दिनांक 27.06.2020 को 140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर दिव्यांगजनों के साथ ई–संवाद के माध्यम से हेलेन केलर जयन्ती के थीम **"शत–प्रतिशत् दिव्यांगजन करें अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल, सुगम समावेशी एवं बाधा रहित मतदान) एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रदत्त अधिकार (सुरक्षा, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन) मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार–द्वारा"** के आलोक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी निम्न संसाधनों यथा– पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह, कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रखण्ड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूक करना सुनिश्चित किया जाए।

जिला प्रबंधक, सक्षम, बुनियाद केन्द्र, अस्थावॉं, इसलामपुर अपने स्तर से सभी तकनीकी कर्मी को अपने आवंटित प्रखण्ड में दिव्यांगजनों को ई–संवाद द्वारा हेलेन केलर जयन्ती के थीम के आलोक में जागरूक कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

सिविल सर्जन, नालन्दा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, नालन्दा अपने स्तर से विभिन्न संसाधनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित किया जाए।

जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से 140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर दिनांक 27.06.2020 को आयोजित उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार इलेक्टॉनिक एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाए।

सभी स्वयं सेवी संस्था/रेडक्रॉस सोसायटी, नालन्दा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित किया जाए।

कृपया सभी संबंधित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय, ताकि इसकी सूचना राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को भेजा जा सके।

25/06/2020

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, नालन्दा।

ज्ञापांक....430....../सा०सु०, दिनांक ...25/06/2020

प्रतिलिपि :– सभी स्वयं सेवी संस्था /रेडक्रॉस सोसायटी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, जिला प्रबंधन कार्यक्रम इकाई, बुनियाद केन्द्र, अस्थावॉं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित पदाधिकारी, नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/06/2020

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, नालन्दा।

ई–मेल :–adssnalanda@gmail.com
दूरभाष सं0 :–06112- 230412(O)
फैक्स सं0 :– 06112-235205(R), 236854(O)
जिला बेवसाईट :–http://nalanda.bih.nic.in

Scanned with CamScanner